कार्यालय
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला स्वास्थ्य समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला – बेमेतरा (छ.ग.)

Email :- cmho-bemetara.cg@gov.in

क्र./डी.एम.एफ./2022–23/978 बेमेतरा, दिनांक 10/03/2023

-:विज्ञापन:-

जिले के स्वीकृत आर.ओ.पी. वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृति के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिला बेमेतरा (छ.ग.) अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में रिक्त संविदा पदों पर अस्थाई रूप से कलेक्टर दर पर सेवाऐं लिया जाना है। जिसके लिये रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	सेवा में लिये जाने वाले पद का नाम	स्वीकृत संख्या	सेवा प्रदाय राशि एक मुश्त	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता
1	Laboratory Technicians - DPHL	4	11,1,30.00	DMLT OR BMLT Paramedical in Pathology Course with Registration in CG Paramedical council
2	Technical Assistant - hearing Impaired Children	1	. 11,1,30.00	Diploma in Training young deaf and hearing handicapped (DTYDHH) from RCI recognized institute
3	2nd ANM	3	11,1,30.00	12th passed, ANM Passed & INC affiliated Training Centre & Live Registration in Chhattisgarh Nursing Registration Coucil.
4	ANM	2	11,1,30.00	12th passed, ANM Passed & INC affiliated Training Centre & Live Registration in Chhattisgarh Nursing Registration Coucil.
5	Lab Assistant	2	11,1,30.00	12th Passed with Biology Subject
6	Jr. Secretarial Assistant - PADA	1	11,1,30.00	12th Passed with at least 1 Year Diploma in Computer Application

आवेदन पत्र आमंत्रण हेतु निर्धारित तिथि:–

क्र.	सेवा में लिये जाने वाले पद का नाम	तिथि	समय
1	Laboratory Technicians - DPHL	16.03.2023	प्रातः 11:00 बजें से सायं 05:00 बजें तक
2	Technical Assistant - hearing Impaired Children		
3	2nd ANM		
4	ANM		
5	Lab Assistant		
6	Jr. Secretarial Assistant - PADA		

अतः उपरोक्तानुसार इच्छुक समस्त अर्हताधारी अभ्यार्थी द्वारा स्वप्रमाणित समस्त दस्तावेज के साथ निर्धारित समय में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला–बेमेतरा (छ.ग.) में उपस्थित होकर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। **निर्धारित तिथि एवं समय के पूर्व एवं पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगे। आवेदन से संबंधित समस्त दिशा–निर्देश, नियम एवं शर्तें कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला– बेमेतरा (छ.ग.) के सूचना पटल तथा जिले की वेबसाइट www.bemetara.gov.in पर देखी जा सकती है।**

क्रमशः...

नोट :– **अभ्यर्थी निरंतर जिले की वेबसाईट www.bemetara.gov.in का अवलोकन करते रहें। विज्ञापन से संबंधित समस्त जानकारी जिले की वेबसाईट www.bemetara.gov.in के माध्यम से ही दी जावेगी। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। अन्य किसी भी माध्यम से कोई जानकारी आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी।**

–:: नियम व शर्तें ::–

1. विज्ञापन से संबंधित समस्त दिशानिर्देश जिले की वेबसाइट में www.bemetara.gov.in पर उपलब्ध है।
2. जिले के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले के मूल निवासी के नही मिलने की स्थिति में ही छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के पात्र अभ्यार्थियों को मेरिट क्रमानुसार प्राथमिकता दी जावेगी।
3. सेवाप्रदाता छत्तीसगढ़ सिविल (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगें।
4. सेवा लिये जाने वाले पद के विरूद्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/नियमित पद पूर्ति होने तक ही सेवा ली जावेगी पद के विरूद्ध भर्ती होने पर सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. सेवा प्रदाता अपने कार्यकाल के दौरान निजी संस्था में कार्य नही कर सकते है, यदि कोई उम्मीदवार सेवा अवधि के दौरान निजी संस्था मे कार्य करते पाये जाते है, तो उनकी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
6. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र जिस संस्था से प्राप्त है, वह संस्था मान्यता प्राप्त एवं छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होनी अनिवार्य है।
7. आयु सीमा 01 जनवरी 2021 को न्युनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष तक होना चाहिए। उम्मीदवार को अपनी आयु सत्यापित करने हेतु दसवीं या बारहवीं की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. अभ्यार्थी एक से अधिक पदों पर आवेदन कर सकते है किन्तु प्रत्येक पद हेतु अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. अभ्यार्थी को अपनी पहचान हेतु आधार कार्ड की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. सेवा प्रदाता सेवा काल समाप्त होने के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के स्थान पर एक माह का वेतन जमा कर/देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
11. अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अपना निर्धारित स्थान पर स्वसत्यापित नवीनतम पासपोर्ट फोटों चस्पा करें।
12. सेवाप्रदाता को सेवा समाप्ति के पश्चात् सेवक के रूप में जितनी अवधि तक सेवा दी गई है उस अवधि के लिए किसी भी प्रकार का पेंशन, उपादान या मृत्यु संबंधी लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
13. चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी विवाद या समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार अध्यक्ष, चयन समिति (कलेक्टर) के पास सुरक्षित होगा।
14. सेवा प्रदाता का चयन उपरांत कार्यालय में आवेदक की उपस्थिति के समय ही मूल प्रमाण पत्रों की जांच (सत्यापन) का कार्य कार्यालय द्वारा किया जावेगा। प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवार का चयन निरस्त किया जा सकेगा।

क्रमशः...

15. **लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्राविण्य सूची :–**

जिन पदों पर एक से अधिक शैक्षणिक योग्यता दर्शित है वहां दर्शित अनुक्रम में ही प्राथमिकता दी जाएगी। अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनायी जावेगी–

अ) शैक्षणिक योग्यता– अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नातकोत्तर) के सभी वर्षो के प्राप्तांको के प्रतिशत का 70%

ब) अनुभव – अधिकतम 10 अंक (प्रत्येक पूर्ण वर्ष हेतु 2 अंक)
अनुभव प्रमाण पत्र केवल केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/शासकीय /अर्द्धशासकीय पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रति पूर्ण वर्ष के मान से अंक दिये जायेंगे तथा वैश्विक महामारी कोविड–19 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत षासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में एस.डी.आर.एफ., डी. एम. एफ. एवं सी.एस.आर. अंतर्गत निरंतर 06 माह का कार्यानुभव रखने वाले अस्थाई कर्मचारियों को ही अनुभव का 10 अंक प्रदान किया गया जायेगा।

स) कौशल परीक्षा – 20 अंक (पद के अनुरूप लिखित/कम्प्यूटर बेस्ड/साक्षात्कार/प्रस्तुतीकरण आदि के स्वरूप में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)
शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव दोनों के योग के आधार पर कौशल परीक्षा हेतु अभ्यर्थी आमंत्रित किये जायेंगे।

16. सेवाए लिये जाने हेतु अंतिम चयन सूचीः– अंतिम प्रावीण्य सूची अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता (स्नातक/स्नातकोत्तर) के सभी वर्षो के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 70% (अनुभव के अंक तथा कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में प्राप्तांकों के योग के आधार पर तैयार की जावेगी।)

17. अनुभव प्रमाण पत्र (आवेदित पद से संबंधित हो) केवल केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/शासकीय/अर्द्धशासकीय पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रति पूर्ण वर्ष के मान से अंक दिये जायेंगे।

18. प्रतीक्षा सूचीः–
प्रतीक्षा सूची हेतु कुल स्वीकृत पद के विरूद्ध 200 प्रतिशत अभ्यर्थियों को प्रतिक्षा सूची में रखा जावेगा, ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद पर तत्काल सेवा लिये जा सकें।

19. सेवा प्रदाता 89 दिवस के लिए होगी जो पूर्णतः अस्थाई होगी, आवश्यकता होने पर आगामी दिवसों में सेवा वृद्धि किया जावेगा।

20. आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकेगा।

21. आवेदन आमंत्रित निर्धारित तिथि के पूर्व समस्त दस्तावेजों का पूर्ण होना आवश्यक है, अन्यथा उक्त दस्तावेज स्वीकार नही किया जावेगा।

22. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार से कोई दबाव डलवाया जा रहा है, या निश्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

23. दावा आपत्ति हेतु तिथि निर्धारित किया जायेगा निर्धारित तिथि में अभ्यार्थि प्रकाशित सूची में अभ्यार्थियों से संबंधित (नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता का अंको एवं अन्य) त्रुटियों की स्थिति में अभ्यार्थी द्वारा आपत्ति किये जाने पर निराकरण किया जावेगा। दावा आपत्ति हेतु निर्धारित तिथि उपरांत किसी भी प्रकार के दावा आपत्ति किये जाने पर उक्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

24. चयनित सेवा प्रदाता द्वारा नियमितीकरण की मांग तथा सेवा समाप्त न किये जाने हेतु कोई मांग नही करेगें न ही किसी धरना प्रदर्शन इत्यादि में शामिल होगें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम :.. पद क्रमांक ....

आवेदन हेतु जातिवर्ग :.. (स्पष्ट उल्लेख करें)

स्व हस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साइज फोटो

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला–बेमेतरा, छत्तीसगढ़

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :..

(अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में) :..

2. पिता / पति का नाम :..

3. माता का नाम :..

4. (अ) जन्म तिथि (अंको में) : वर्ष.................................माह..........................दिनांक..................................

(ब) आयु 1 जनवरी 2023 की स्थिति मे : वर्ष...............................माह...........................दिनांक..............................

5. लिंग (पुरूष / महिला / अन्य) :..

6. जाति (सामान्य / अनु.जाति / अनु.जन.जाति / अ.पि.वर्ग) :........................(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

7. छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी (हॉं / नहीं) :.............................. मूल जिला :..

(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें)

8. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :..

:..

:..

:..

मोबाईल नं. :.. दूरभाष नं. :...

ई–मेल आई.डी. :..

9. रोजगार कार्यालय का नाम : ....

जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक :..

10. अन्य विज्ञापित पदों पर आवेदन किया गया है (हॉं / नही) :..

यदि हॉं तो पद का नाम : ....

11. क्या आप विवाहित है। (हॉं / नही) :.............................. यदि हॉं तो विवाह की तिथि :...

12. शैक्षणिक योग्यता : (वांछित शैक्षणिक योग्यता का ही विवरण भरा जावें, शैक्षणिक योग्यता की जानकारी गलत/अधूरा भरा जाने पर आवेदन निरस्त किया जावेगा)

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष	उत्तीर्ण परीक्षा के सभी वर्षो का पूर्णांक	उत्तीर्ण परीक्षा के सभी वर्षो का प्राप्तांक	प्रतिशत

13. अनुभव : (अनुभव प्रमाण पत्र केवल केन्द्र व राज्य सरकार के उपक्रम/शासकीय/अर्द्धशासकीय पदों का ही भरे, अनुभव की जानकारी अवांछित/गलत/अधूरा भरा जाने पर अनुभव अमान्य किया जावेगा)

क्र.	संस्था का नाम	अनुभव प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पदनाम	दिनांक से	दिनांक तक	अनुभव अवधि (वर्ष, माह एवं दिन)
कुल अनुभव अवधि		.... वर्ष, ... माह एवं .... दिन)			

17. संलग्न स्वप्रमाणित प्रमाण पत्रों की सूची :–
(निम्नांकित क्रम में आवेदन पत्र के साथ संलग्न एवं चिन्हाकित करें)

1. आवेदन पत्र
2. 10 वीं एवं 12 वीं की अंक सूची
3. स्नातक एवं स्नातकोत्तर/अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंकसूची
4. संबंधित डिग्री
5. संबंधित कौंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र
6. कंप्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र
7. रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र
8. मूल निवास प्रमाण पत्र
9. पहचान पत्र (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./ड्राईविंग लाईसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पता एवं फोटो हो)
10. अनुभव प्रमाण पत्र
11. नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
12. अन्य संबंधित दस्तावेज (यदि लागू हो तो)
13. अन्य : ....

....

घोषणा पत्र

मैं श्री/श्रीमति/कु. .... प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण हैं। किसी भी स्थिति में जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी, आवेदन निरस्त किया जा सकेगा तथा भर्ती संबंधी मेरे सभी दावे समाप्त किये जा सकेंगे।

स्थान :...........................

दिनांक :.........................

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम : ....